16/12/13

(10)

अनुसूची

आदेश-पत्रक

(देखें जिला हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक ... वर्ष ... से ... तक

जिला विविध (जमाबन्दी रद्द) वाद संख्या 2/13-14

वर्ष 19

केस का कारण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित
1	2	3
24.10.13	आवेदकगण (1) मुनेश्वर पांडेय (2) जगन्नाथ पांडेय उर्फ जगपति पांडेय (3) हरिनारायण पांडेय (4) गणेश पांडेय वगैरह एवं महेश्वर पांडेय एवं - मोरसा थाना - पुरवारीशरीफ, वाला के खाता सं० 183497 रिकार्ड 14/13 का शिवपति एवं चार बहिरीनाथपति के बाद का जमाबन्दी मु० मौजा - मोहना थाना सं० - 38 अन्तर्गत खाता सं० 442 खेसरा सं० 1286/290 रकबा 71.80 धूरी का (1) कुमुदनन्दन पति एवं रामानन्द राम (2) श्रीमती जुनीता देवी पति एवं राम प्रवेश राम (3) श्रीमती निरपा देवी पति एवं सरवेश राम एवं (4) अरुण राम पिता राम उपहार राम के नाम बराबर जमाबन्दी सं० - 2043 को रद्द करने हेतु आवेदन-पत्र दाखिल किये हैं।

आवेदकों द्वारा आवेदनपत्र के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि इनलोगों का परिवार एक मुन्नी लाल पाठ एवं राम शरण द्वारा शेख भाट महतो को शेख काजी वगैरह मजरुआ मालिक के द्वारा 16.8.1916 में अवैध भूमि की बिक्री कर दिया गया है। इसके बाद शेख भाट महतो के वारिसान मोहम्मद इसा बाद पीर महतो उर्फ काजी मजुर द्वारा आवेदकगण के साथ एक साजिशकारी प्रपंच-पत्र के द्वारा मुन्ना, मोरसा, पुरवारीशरीफ, वाला के खाता रिकार्ड 14.02-1440 केता अवैध भूमि बिक्री किया गया था। तब से आज तक उक्त भूमि पर आवेदकों का कब्जा है। इनलोगों का कहना है कि अवैध भूमि का जमाबन्दी सं० - 1389 पर रसीद कटती है।

अंचल अधिकारी
फुलवारी शरीफ

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
१	३	४
	[illegible] 16.12.13 को उपस्थित हुए।	
	16.11.13 अंचलाधिकारी फुलवारीशरीफ, पटना	
16.12.13	आवेदक उपस्थित। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं आवेदक द्वारा रखे गये आवेदन-पत्र एवं अन्य कागजात को अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाद में संलग्नित भूमि विवादित भूमि है अतः वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है। राजस्व कर्मचारी को सूचित करें। 16.12.13 अंचलाधिकारी फुलवारीशरीफ, पटना	

अंचल अधिकारी
फुलवारी शरीफ